ग्राम पंचायत बासा , विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बासा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री विरेन्द्र सिंह	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमति प्रेम लता	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री राकेश कुमार	1-4-2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बासा के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.37
2	7	अनुदानों का उपयोग न करना	12.53
3	8	अनुचित कार्य मूल्यांकन के कारण अधिक भुगतान	0.45
4	9	मनरेगा के भुगतान वाउचर प्रस्तुत न करना	0.42
5	10	अज्ञात स्त्रोत से प्राप्त राशि	1.00

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बासा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-1-2018 से 19-1-2018 तक ग्राम पंचायत बासा में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	3/2015	2/2015
2015-16	4/2015	12/2015

2016-17 4/2016 7/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत बासा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31/2018 दिनांक 19-1-2018 द्वारा अनुरोध किया गया|

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत बासा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्त्रोत:-ग्राम पंचायत बासा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	148133	170500	318633	133040	185593
2015-16	185593	112527	298120	154612	143508
2016-17	143508	177778	321286	177753	143533

(ii) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत बासा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	554445	1764568	2319013	996746	1322267
2015-16	1322267	2486003	3808270	3584952	223318
2016-17	223318	2199716	2423034	1169646	1253388

दिनांक 31-03-2017 को बैंक खातों व नकद राशि का विवरण निम्नानुसार था

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	KCC BANK NAGROTA SURIAN	20027080125	143333
2	KCC BANK NAGROTA SURIAN	20027080534	1030
3	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055927664	4366
4	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055927245	783
5	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055927154	818

6	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055927212	3434
7	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055926897	7363
8	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055926922	109643
9	KCC BANK NAGROTA SURIAN	50055926988	1125951
		Total	**₹1396721**
		Cash in hand	200
		Grand total	**₹1396921**

अन्तर = ₹1396921 - 1396921 = शून्य

5 **बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म पर तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.37 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव बासा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि ₹36975 वसूली हेतु शेष थी जिसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए|

1. **गृहकर :**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2014-15	00	12325	12325	00	12325
2015-16	12325	12325	24650	00	24650
2016-17	24650	12325	36975	00	36975

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया|अत: अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए| कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए

7 अनुदान ₹12.53 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदानो की ₹1253388 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत

द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

८ **निर्माण कार्यों का कार्य मूल्यांकन अनुचित रूप से करने के कारण 0.45 लाख का अधिक भुगतानः–**

ग्राम पंचायत द्वारा MGNREGA के अन्तर्गत करवाए गये निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य मूल्यांकन (Work Assessment) करते समय 15% कॉन्ट्रेक्टर प्रोफिट एण्ड ओवर हेड चार्जिज की कटौती न करने के कारण ₹45252 का अधिक भुगतान/मूल्यांकन किया गया जोकि अनुचित है। अतः इस बारे नियमानुसार उचित स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएः–

Vr. No.	**Month**	**Name of work**	**Labour Assessment**	**15% CP & OH Charges**	**Mb No. & Page**
Nil	12/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री शमशेर सिंह	39009	5851	7462, P 15
Nil	12/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री जगदीश चन्द	39009	5851	7462, P 10
Nil	12/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री कल्याण सिंह	39009	5851	7462, P 12
Nil	12/2015	निर्माण नाली PWD रोड से आवादी	52593	7889	7462, P 29
Nil	12/2015	निर्माण नाली श्री रोहित कुमार के घर से नाला तक	57779	8667	7462, P 35
Nil	12/2015	निर्माण रास्ता श्रीमति रीता देवी के घर से वार्ड 4	58696	8804	2229, P 95
Nil	7/2016	निर्माण नाला श्री सतपाल सिंह के पास वार्ड 2	15592	2339	7462, P 77
			Total	**₹45252**	

9 **मनरेगा के भुगतान ₹0.42 लाख के वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–**

निम्नानुसार मनरेगा भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली की जाए|

वाउचर संख्या	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि (₹)**
118	3/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री शमशेर सिंह	14135

121	3/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री जगदीश चन्द	14135
124	3/2017	निर्माण वाटर टैंक श्री कल्याण सिंह	14135
		योग	**42405**

10 अज्ञात स्त्रोत के ₹1.00 लाख की प्राप्ति बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा मास 3/2016 में ₹100000 की प्राप्त राशि को रोकड़ बही में अज्ञात स्त्रोत के रूप में दर्शाया गया गया है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना में इस राशि को MPLAD में दर्शाया गया है जोकि उचित नहीं है। अतः इस राशि की प्राप्ति का स्त्रोत ज्ञात करके चूक का निराकरण नियमानुसार सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

11 नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ वहियों का निर्माण करने बारे:---

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ वही में लेखांकित किये जाने का प्रावधान है| परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में 10 अलग-अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है| अत: नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन 10 रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बंद करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए|

12 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करना आवश्यक है| परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए|

13 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102(1से7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्टरोल जारी करने के रजिस्टर" में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किये जाएँगे| इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्यति के आधार पर किया जाएगा| परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है| मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छ: दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छ: दिन से अधिक कार्य किये जाने के वाबजूद भी उन्हें सवेतनिक अवकाश नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है|

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है|
3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है| मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है|

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गई राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है|

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं|
इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

14 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---**

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरांत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के " **परिशिष्ट – ई** " में दिए गये प्रारूप अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है I

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है I

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए

वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं I अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है I

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता , सहायक अभियन्ता आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है| परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में ऐसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं| यह स्पष्टतय: सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है | इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए| इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरुद्ध किये गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्च अधिकारी की कर्योतर स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए|

15 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये थे | चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से पंचायत के उञ्च अधिकारिओं के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है |

16 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

17 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

19 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है|

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)174/2018 खण्ड–1–4668–4671 दिनांक 04.07.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बासा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881